रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052022-236054
CG-DL-E-27052022-236054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2299] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944
No. 2299] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

(आय-कर)

का.आ. 2425(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 274 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पहचान विहीन शास्ति स्कीम, 2021 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस स्कीम का नाम पहचान विहीन शास्ति (संशोधन) स्कीम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. पहचान विहीन शास्ति स्कीम, 2021 में, -

(i) पैरा 4 में, -

(अ) उप-पैरा (1) में, -

(I) खंड (i) "और इसमें इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित की अधिकारिता निहित है" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(II) खंड (ii) का लोप किया जाएगा।

(III) खंड (iii) में "जो शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो" शब्दों के स्थान पर "जो शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और "शास्ति इकाई" पद जहां कहीं इस स्कीम में प्रयुक्त हुआ है, किसी निर्धारण अधिकारी जिसके पास बोर्ड द्वारा समनुदेशित शक्तियां हों, के प्रति निर्देश होगा " शब्द रखे जाएंगे ।

(IV) खंड (iv) में, "और ऐसे अन्य कृत्य जो पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, और उससे संबंधित अधिकारिता को विनिर्दिष्ट करेगा" शब्दों के स्थान पर "और ऐसे अन्य कृत्य जो पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों और "शास्ति पुनर्विलोकन इकाई" पद जहां कहीं इस स्कीम में प्रयुक्त हुआ है , किसी निर्धारण अधिकारी जिसके पास बोर्ड द्वारा समनुदेशित शक्तियां हों, के प्रति निर्देश होगा " शब्द रखे जाएंगे ।

(आ) उप-पैरा (4) में, "क्षेत्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्रों", "क्षेत्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र" और "क्षेत्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) पैरा 5 में, उप-पैरा (1) में, -

(अ) खंड (ii) में, "क्षेत्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्रों में से किसी एक में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (xv) से खंड (xxii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(xv) शास्ति इकाई, अभिलेख पर रखी गई सामग्री, जिसके अंतर्गत खंड (viii), खंड (x) और खंड (xii) में यथा निर्दिष्ट प्रस्तुत किया गया प्रत्युत्तर भी है, यदि कोई हो या खंड (xiv) में रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित के प्रयोजन हेतु, -

(क) शास्ति अधिरोपित करने और ऐसी शास्ति के अधिरोपण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए;

(ख) शास्ति अधिरोपित न करने के लिए, कारणों को

लेखबद्ध करते हुए, यथास्थिति, ऐसे शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव या कारणों को, राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को भेजेगा;

(xvi) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र, बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, -

(क) ऐसी दशा में, जहां शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया गया है, खंड (xv) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव के अनुसार शास्ति आदेश पारित करने के लिए शास्ति इकाई को संसूचित कर सकेगा; या

(ख) ऐसी दशा में, जहां शास्ति अधिरोपित न करने का प्रस्ताव किया गया है, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचना देते हुए शास्ति कार्यवाहियां छोड़ने हेतु शास्ति इकाई को संसूचित कर सकेगा; या

(ग) यथास्थिति, ऐसे प्रस्ताव या कारणों का पुनर्विलोकन करने के लिए स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से शास्ति पुनर्विलोकन इकाई को सौंप सकेगा;

(xvii) शास्ति इकाई, खंड (xvi) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित करेगा और उसे निर्धारिती पर राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के माध्यम से तामील करेगी ;

(xviii) शास्ति इकाई, खंड (xvi) के उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, शास्ति कार्यवाहियां छोड़ेगी और निर्धारिती को राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के माध्यम से संसूचना भेजेगी ;

(xix) शास्ति पुनर्विलोकन इकाई, खंड (xvi) के उप-खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपण के प्रस्ताव या शास्ति अधिरोपण न करने के कारणों का पुनर्विलोकन करेगी और जहां यह यथास्थिति, ऐसे प्रस्ताव या कारणों पर सहमत हो सकेगी या उसके उपांतरण का सुझाव दे सकेगी, के लिए पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करेगी तथा ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को भेजेगी।

(xx) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र, खंड (xix) के अधीन पुनर्विलोकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर उसे उस शास्ति इकाई को अग्रेषित करेगा जिसने यथास्थिति, शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव प्रस्तावित किया था या शास्ति अधिरोपण न करने के लिए कारण प्रस्तावित किए थे ।

(xxi) शास्ति इकाई, ऐसी पुनर्विलोकन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उसमें प्रस्तावित सभी या कुछ उपांतरणों को स्वीकार करेगी या नामंजूर करेगी और ऐसे उपांतरणों को नामंजूर करने के मामले में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, यथास्थिति, शास्ति अधिरोपित करने या शास्ति कार्यवाहियों को छोड़ने का आदेश पारित करेगी और शास्ति अधिरोपित करने या शास्ति कार्यवाहियों को छोड़ने करने का आदेश राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के माध्यम से निर्धारिती पर तामील करेगी ।

(xxii) जहां, यथास्थिति, शास्ति अधिरोपित करने या शास्ति छोड़ने हेतु संसूचना के लिए आदेश पारित किया गया है वहां शास्ति इकाई ऐसे आदेश की एक प्रति या शास्ति छोड़ने हेतु संसूचना की एक प्रति आय-कर प्राधिकारी को, खंड (i) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के माध्यम से अधिनियम के अधीन अपेक्षित अग्रिम कार्रवाई के लिए ऐसे आदेश की एक प्रति भेजेगी;

(iii) पैरा 6 का लोप किया जाएगा ।

(iv) पैरा 8 में,

(अ) "(i) स्कीम के प्रयोजनों के लिए" कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "स्कीम के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (ख) में, "प्रादेशिक पहचान विहीन निर्धारण केंद्र" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(v) पैरा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन– इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन,-

(i) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र द्वारा किसी इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से किया जाएगा;

(ii) यथास्थिति, शास्ति इकाई या शास्ति पुनर्विलोकन इकाई या तकनीकी इकाई या सत्यापन इकाई द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर चस्पा करके किया जाएगा ;

(iii) निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति अपने डिजीटल हस्ताक्षर चस्पा करके या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन या पदाभिहित पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रीकृत खाते में लॉग करके करेगा।

स्पष्टीकरण – इस पैरा के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड" का वही अर्थ होगा जो इन नियमों के नियम 12 में उसे निर्दिष्ट किया गया है"

(vi) पैरा 11 में, -

(अ) उप-पैरा (1) में, या "प्रादेशिक पहचान विहीन शास्ति केंद्र" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(आ) उप-पैरा (3) और) उप-पैरा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(3) जहां व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, सुसंगत इकाई का आय-कर अधिकारी ऐसी सुनवाई राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के माध्यम से अनुज्ञात करेगा ।

(4) उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट सुनवाई अनन्य रुप से वीडियो कान्फ्रेसिंग या टेलीफोनी वीडियो के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिसके अंतर्गत कोई टेली कम्युनीकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर का प्रयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार यथाशक्य प्रौद्योगिकीय विस्तार तक, वीडियो कान्फ्रेसिंग या टेलीफोनी वीडियो द्वारा समर्थ हो "

(vii) पैरा 12 में, -

(अ) "प्रादेशिक पहचान विहीन शास्ति केंद्र" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (ix) का लोप किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 54/2022/फा.सं. 370142/51/2020-टीपीएल-(भाग III)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल स्कीम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.117(अ) तारीख, 12 जनवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

(INCOME-TAX)

S.O. 2425(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 274 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Faceless Penalty Scheme, 2021, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Faceless Penalty (Amendment) Scheme, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Faceless Penalty Scheme, 2021,—

(i) in paragraph 4,—

(A) in sub-paragraph (1),—

(I) in clause (i), the words "and vest it with the jurisdiction to impose penalty in accordance with the provisions of this Scheme" shall be omitted;

(II) clause (ii) shall be omitted;

(III) in clause (iii), for the words "as may be required for the purposes of imposing penalty", the words "as may be required for the purposes of imposing penalty and the term "penalty unit", wherever used in this Scheme, shall refer to an Assessing Officer having powers so assigned by the Board" shall be substituted;

(IV) in clause (iv), for the words "and such other functions as may be required for the purposes of review, and specify their respective jurisdiction", the words "and such other functions as may be required for the purposes of review and the term "penalty review unit", wherever used in this Scheme, shall refer to an Assessing Officer having powers so assigned by the Board" shall be substituted;

(B) in sub-paragraph (4), the words "the Regional Faceless Penalty Centres,", "Regional Faceless Assessment Centre," and "Regional Faceless Penalty Centre," shall be omitted;

(ii) in paragraph 5, in sub-paragraph (1),—

(A) in clause (ii), the words "in any one of the Regional Faceless Penalty Centres" shall be omitted;

(B) for the clauses (xv) to (xxii), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(xv) the penalty unit shall, after considering the material on record including response furnished, if any, as referred to in clauses (viii), (x) and (xii) or report, if any, as referred to in clause (xiv), propose for,—

(a) imposition of the penalty and prepare a penalty imposition proposal for imposition of such penalty;

(b) non-imposition of the penalty, for reasons to be recorded in writing,

and send the penalty imposition proposal or reasons, as the case may be, to the National Faceless Penalty Centre;

(xvi) the National Faceless Penalty Centre, in accordance with the guidelines issued by the Board, may,—

(a) in a case where imposition of penalty has been proposed, convey to the penalty unit to pass the penalty order as per penalty imposition proposal referred to in sub-clause (a) of clause (xv); or

(b) in a case where non-imposition of penalty has been proposed, convey to the penalty unit to drop the penalty proceedings under intimation to the assessee or any other person, as the case may be; or

(c) assign the case to a penalty review unit through an automated allocation system, for conducting review of such proposal or reasons, as the case may be;

(xvii) the penalty unit shall, in the case referred to in sub-clause (a) of clause (xvi), pass the order imposing penalty and serve the same on the assessee through the National Faceless Penalty Centre;

(xviii) the penalty unit shall, in the case referred to in sub-clause (b) of clause (xvi), drop the penalty proceedings and send the intimation to the assessee through the National Faceless Penalty Centre;

(xix) the penalty review unit shall review the penalty imposition proposal or reasons for non-imposition of penalty, as referred to in sub-clause (c) of clause (xvi), whereupon it may concur with, or suggest modification to, such proposal or reasons, as the case may be, and prepare a review report and send such report to the National Faceless Penalty Centre;

(xx) the National Faceless Penalty Centre shall, upon receiving the review report under clause (xix), forward the same to the penalty unit which had proposed the penalty imposition proposal or reasons for non-imposition of penalty, as the case may be;

(xxi) the penalty unit shall, after considering such review report, accept or reject some or all of the modifications proposed therein and after recording reasons in case of rejection of such modifications, pass the order imposing penalty or drop the penalty proceedings, as the case may be, and serve the order imposing penalty or intimation for dropping penalty proceedings, as the case may be, on the assessee through the National Faceless Penalty Centre;

(xxii) where an order imposing penalty or intimation for dropping penalty, as the case may be, has been passed, the penalty unit shall send a copy of such order, or intimation for dropping penalty to the income-tax authority, referred to in clause (i), through the National Faceless Penalty Centre, for further action as may be required under the Act.";

(iii) paragraph 6 shall be omitted;

(iv) in paragraph 8,-

(A) for the brackets, figures and words "(i) For the purposes of the Scheme", the words "For the purposes of the Scheme" shall be substituted;

(B) in clause (b), the words "Regional Faceless Penalty Centres," shall be omitted;

(v) for paragraph 9, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"9. **Authentication of electronic record.**— For the purposes of this Scheme, an electronic record shall be authenticated by,—

(i) the National Faceless Penalty Centre by way of an electronic communication;

(ii) the penalty unit or the penalty review unit or technical unit or verification unit, as the case may be, by affixing digital signature;

(iii) assessee or any other person, by affixing his digital signature or under electronic verification code, or by logging into his registered account in the designated portal.

Explanation. – For the purpose of this paragraph, "electronic verification code" shall have the same meaning assigned to it in the Explanation to sub-rule (3) of rule 12 of the Rules.";

(vi) in paragraph 11,—

(A) in sub-paragraph (1), the words "or Regional Faceless Penalty Centre" shall be omitted;

(B) for sub-paragraphs (3) and (4), the following paragraphs shall be substituted, namely:—

"(3) Where the request for personal hearing has been received, the income-tax authority of relevant unit shall allow such hearing, through National Faceless Penalty Centre.

(4) Hearing referred to in sub-paragraph (3) shall be conducted exclusively through video conferencing or video telephony, including use of any telecommunication application software which supports video conferencing or video telephony, to the extent technologically feasible, in accordance with the procedure laid down by the Board.";

(vii) in paragraph 12,—

(A) the words "the Regional Faceless Penalty Centre," shall be omitted;

(B) the clause (ix), shall be omitted.

[Notification No. 54/2022/F. No. 370142/51/2020-TPL(Part III)]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note : Principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 117(E) dated the 12th January, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.27 22:22:14 +05'30'